उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन अपील वाद संख्या – 09/2015

लाखो देवी बनाम राज्य एवं महेश धोबी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

–:: आदेश ::–

22-07-2017

अपीलार्थी लाखो देवी पति स्व0 धुचा भुईयाँ, साकिन कुज्जू, थाना माण्डू, जिला रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 215 के तहत् भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ द्वारा परमिशन वाद संख्या– 85/2014–15 धुचा भुईयाँ बनाम् महेश धोबी में दिनांक 15.04.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि सरकार के अधिसूचना के अनुसार भुईयाँ अनुसूचित जाति श्रेणी अन्तर्गत आते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)(b) में निहित प्रावधान के तहत् क्रेता–बिक्रेता अनुसूचित जाति श्रेणी अर्न्तगत है और एक ही जिला के निवासी हैं। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दायर परमिशन आवेदन को इस आधार पर खारिज किया गया है कि भुईयाँ जाति को छोटानापुर प्रमण्डल में पिछड़ी श्रेणी के अर्न्तगत रखा गया है, जो नियम के प्रतिकुल है। इन्होंने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा परमिशन वाद संख्या– 85/2014–15 धुचा भुईयाँ बनाम् महेश धोबी में दिनांक 15.04.2015 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए मौजा कुज्जू, थाना नं0– 154, थाना माण्डू, जिला रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0– 101 प्लॉट नं0– 1072, रकबा– 0.08 एकड़ भूमि क्रेता महेश धोबी, पिता स्व0 रामधनी धोबी, ग्राम– बड़काचुम्बा, थाना– गिद्दी, जिला– रामगढ़ को बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्राप्त आवेदन, समर्पित कागजात एवं अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सरकार के अधिसूचना के तहत् क्रेता–बिक्रेता अनुसूचित जाति श्रेणी अर्न्तगत आते है एवं एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि सर्वे खतियान में रैयती दर्ज है, आवेदक को आवेदित भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है एवं बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं।

उक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ द्वारा परमिशन वाद संख्या– 85/2014–15 धुचा भुईयाँ बनाम् महेश धोबी में दिनांक 15.04.2015 को पारित आदेश से सहमत होनें का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए, अपीलार्थी का अपील आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

539/वि[illegible] 10/8/201[illegible]

लेखापित एवं संशोधित

22/7/17

उपायुक्त,
रामगढ़।

22/7/17

उपायुक्त,
रामगढ़।